

(Pages 1-4 Hindi Version – Pages 5-8 English Version)

फोन : 0431-2411195 (General)
PHONE : 2460582 (Control Room)



फेक्स /Fax : 0431-2411583
2400366
E-mail : cextrich@excise.nic.in

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय
नं.1, विल्लियम्स रोड, कन्टोनमेंट, तिरुच्चिरापल्लि – 620 001.
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE
NO.1 WILLIAMS ROAD, CANTONMENT, TIRUCHIRAPPALLI - 620 001.

व्यापार सूचना सं 29/2007

दिनांक 30.11.2007

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारियों का मनोनयन – केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुच्चिरापल्लि में परिवर्तित संरचना – का संप्रेषण – के बारे में ।

व्यापार समूह एवं जनता के ध्यान में लाया जाता है कि केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (इसके आगे बोर्ड कहा जाता है), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (के ज सू अ) तथा अपीलीय प्राधिकारियों के मनोनयन में बोर्ड द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन संरचनात्मक परिवर्तन करके सूचित किया गया है, देखें बोर्ड का पत्र फा.सं. 296/115/2007-केउशु 9 ।

2. इसके अनुसार, पूर्व आदेशों के अधिकमण में और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड ने बोर्ड कार्यालय के अवर सचिव रैंक के अधिकारियों को उनके अपने-अपने प्रभार के लिए केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी मनोनीत करने का निर्णय किया है । इस निर्णय के अनुसार बोर्ड ने उपायुक्त/सहायक आयुक्त रैंक के अधिकारियों को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में, के उ सी शु बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों में, महानिदेशालय एवं निदेशालय भी शामिल, मनोनीत करने का भी निर्णय किया है । अपीलीय प्राधिकारी उनके अपने-अपने पर्यवेक्षी अधिकारी, अर्थात् क्षेत्रीय कार्यालयों में अपर/संयुक्त आयुक्त ग्रेड के अधिकारी होंगे ।

3. बोर्ड के उपरोक्त निर्णयानुसार तिरुच्चिरापल्लि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के क्षेत्राधिकार में आनेवाले पाँच केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडलों के प्रभार संबंधी विषयों तथा इस आयुक्तालय और आयुक्त अपील, तिरुच्चिरापल्लि संबंधी विषयों के लिए केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारियों के संरचना को अंतिम रूप दिया गया है । निम्नलिखित समय सारणी में उल्लेख किए अनुसार केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी के नाम, पता व दूरभाष संख्या व्यापार समूह एवं जनता के लाभ के लिए ध्यान में लाए जाते हैं ।

क्रम सं.	सू अ अधिनियम,2005 की धारा 5(1) के तहत मनोनीत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (के ज सू अ) के नाम व पता	संबंधित मामले	सू अ अधिनियम,2005 की धारा 19 (1) के तहत अपील को डील करने वाले अपीलीय प्राधिकारी के नाम व पता
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	श्री आर. स्वामिनाथन, उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क I मंडल, नं 1 विल्लियम्स रोड,कन्टोनमेंट, तिरुच्चिराप्पल्लि – 620 001. तमिलनाडु दूरभाष : 0431-2419688 ई मेल : cexd3002@excise.nic.in	उनके प्रभार से संबंधित सू अ विषय	श्री वी. मणिवण्णन, अपर आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नं 1 विल्लियम्स रोड,कन्टोनमेंट, तिरुच्चिराप्पल्लि – 620 001. तमिलनाडु दूरभाष : 0431-2411056 फैक्स: 0431-2416207 ई मेल: cextrich@excise.nic.in {सू अ अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के खंड (क) में निर्दिष्ट समय के अंदर के ज सू अ से निर्णय की गैर प्राप्ति के कारण उत्पन्न अपील (क्रम सं.1 व 2 के स्तंभ (2) में उल्लिखित) या क्रम सं.1 व 2 के स्तंभ (2) में उल्लिखित के ज सू अ के निर्णयों से व्यथित होने के कारण उत्पन्न अपील}
02.	श्रीमती बर्टसी सुन्दरम, उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क II मंडल, नं 1 विल्लियम्स रोड,कन्टोनमेंट, तिरुच्चिराप्पल्लि – 620 001. तमिलनाडु दूरभाष फेक्स : 0431-2410086 ई मेल : cexd3006@excise.nic.in	उनके प्रभार से संबंधित सू अ विषय	– वही –
03.	श्री आर. स्वामिनाथन, उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडल, पोन्नगर, मेडिकल कालेज रोड, तंजावूर –613 007 तमिलनाडु दूरभाष फेक्स : 04362-230657 ई मेल : cexd3004@excise.nic.in	उनके प्रभार से संबंधित सू अ विषय	श्री वासा शेषगिरि राव, अपर आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नं 1 विल्लियम्स रोड,कन्टोनमेंट, तिरुच्चिराप्पल्लि – 620 001. तमिलनाडु दूरभाष : 0431-2411738 फैक्स: 0431-2412226 ई मेल: cextrich@excise.nic.in {सू अ अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के खंड (क) में निर्दिष्ट समय के अंदर के ज

			सू अ से निर्णय की गैर प्राप्ति के कारण उत्पन्न अपील (क्रम सं.3 से 6 तक के स्तंभ (2) में उल्लिखित) या क्रम सं.3 से 6 तक के स्तंभ (2) में उल्लिखित के ज सू अ के निर्णय से व्यथित होने के कारण उत्पन्न अपील}
04.	श्री पी.ए. विजय, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडल, 15, गौरीपुरम विस्तार, अण्णा नगर मेडन रोड, करूर - 639 002. तमिलनाडु दूरभाष : 04324-240855 फेक्स : 04324 -240859 ई मेल : cexd3007@excise.nic.in	उनके प्रभार से संबंधित सू अ विषय	- वही -
05.	श्री वी. प्रभाकरन, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडल, नं.1, नूल कडै स्ट्रीट, कारैकाल - 609 602. पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र दूरभाष फेक्स 04368-225450 ई मेल : cexd3008@excise.nic.in	उनके प्रभार से संबंधित सू अ विषय	- वही -
06.	श्री ए. राजेन्द्रन, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (तकनीकी) नं 1 विल्लियम्स रोड,कन्टोनमेंट, तिरुच्चिरापल्लि - 620 001. तमिलनाडु दूरभाष : 0431-2414033 ई मेल : cextrich@excise.nic.in	तिरुच्चिरापल्लि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय और तिरुच्चिरापल्लि आयुक्त (अपील) प्रभार से संबंधित सू अ विषय	- वही -

4. व्यापार समूह एवं जनता की जानकारी में लाया जाता है कि ऊपर दी गयी सारणी में उल्लिखित पुनरीक्षित संरचना 1 दिसंबर 2007 से लागू होगा । ऊपर उल्लिखित नए रूप से मनोनीत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी 1 दिसंबर 2007 को और उसके बाद प्राप्त सूचना का अधिकार आवेदनों (उनसे संबंधित अपीलों) पर कार्रवाई करेंगे । इस आयुक्तालय संबंधी केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी /अपीलीय प्राधिकारी का पूर्व संरचना 30 नवंबर 2007 तक जारी रहेगा यानी पुनरीक्षित संरचना 1 दिसंबर 2007 से प्रभावी होने तक ।

5. उपरोक्त व्यापार सूचना के सारांश इस आयुक्तालय के वेबसाइट www.centralexcisetrichy.gov.in पर भी उपलब्ध है ।

(भीखू राम)
आयुक्त

(फाइल सी.सं. II/39/2015/2007-सू अ से जारी)

सेवा में :

डाक सूची I, II व III के अनुसार ।

प्रतिलिपि प्रेषित : मुख्यालय के सभी अनुभाग
सभी आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, चेन्नै / कोयम्बतूर /
चेन्नै सीमा शुल्क (निवारक) अंचल
जन संपर्क अधिकारी, मुख्यालय, तिरुच्चि (नोटिस बोर्ड में प्रदर्शित करने हेतु)
अधीक्षक (कंप्यूटर कक्ष), मुख्यालय, तिरुच्चि – (आयुक्तालय के वेबसाइट में
अपलोड करने हेतु।
हिन्दी कक्ष, मुख्यालय, तिरुच्चि ।
मदद केन्द्र, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, तिरुच्चि ।
सूचना सरलीकरण केन्द्र, मुख्यालय, तिरुच्चि ।
प्रतिलिपि प्रस्तुत : मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोयम्बतूर ।
मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, चेन्नै ।
मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), चेन्नै ।

PHONE (PABX) : 0431 - 2411195

CONTROL ROOM : 0431 - 2460582

Fax : 0431- 2411583
2400366

E-mail : cextrich@excise.nic.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE
NO.1 WILLIAMS ROAD, CANTONMENT, TIRUCHIRAPPALLI - 620 001.

Trade Notice No: 29/2007**Dated 30.11.2007**

Sub: Designation of Central Public Information Officers (CPIOs) and Appellate Authorities in Central Board of Excise & Customs (CBEC), New Delhi under the Right to Information Act 2005 – changed structure in the Central Excise Commissionerate, Tiruchirappalli – communication of – regarding.

It is brought to the knowledge of the Trade and Public that a structural change in the Designation of the Central Public Information Officers (CPIOs) and Appellate Authorities in the Central Board of Excise and Customs (hereinafter referred to as the Board), Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi under the Right to Information Act 2005 has been effected by the Board and conveyed, vide Board's letter F.No.296/115/2007-CX.9.

02. According to this, in supersession of the earlier orders and in exercise of the powers conferred by Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005, the Board has decided to designate officers of the rank of Under Secretaries in the Board office as the CPIOs for their respective charges. In line with this decision, it has also been decided by the Board to designate officers of the rank of Deputy Commissioners / Assistant Commissioners as the CPIOs in the filed offices of CBEC, including the Directorates General and Directorates. The Appellate Authority shall be the respective supervisory officers i.e. officers in the grade of Additional /Joint Commissioners in the filed offices.

03. In accordance with the decision of the Board as aforesaid, the structure of the CPIOs and Appellate Authorities in respect of matters pertaining to the charge of the five Central Excise Divisions falling under the jurisdiction of Tiruchirappalli Central Excise Commissionerate and for matters relating to this Commissionerate and the Commissioner (Appeals), Tiruchirappalli has been finalized. The name and addresses, Telephone Nos etc., of the CPIO and the Appellate Authority as indicated in the Table below are hereby brought to the knowledge for the benefit of the Trade and Public.

S.No.	Name and address of the Central Public Information Officer (CPIO) designated in terms of Section 5(1) of the RTI Act 2005.	Related matters	Name and address of the Appellate Authority to deal with Appeal in terms of Section 19(1) of the RTI Act.
(1)	(2)	(3)	(4)
01	<p>Shri R. Swaminathan, Deputy Commissioner of Central Excise, Central Excise Division-I, 1, Williams Road, Cantonment, Tiruchirapalli – PIN - 620 001. Tamilnadu. Tel: 0431 – 2419688 email:- cexd3002@excise.nic.in</p>	<p>For RTI matters pertaining to his charge.</p>	<p>Shri V.Manivaannan, Additional Commissioner of Central Excise, 1, Williams Road, Cantonment, Tiruchirapalli – PIN - 620 001. Tamilnadu. Tel: 0431 – 2411056 FAX: 0431-2416207. email:- cextrich@excise.nic.in {Appeals arising out of non- receipt of decision from the CPIO (indicated in column (2) against S.Nos. 1 & 2) within the time specified in sub section (1) or clause (a) of sub-section (3) of Section 7 of the RTI Act or appeal arising if aggrieved by a decision of the CPIO (indicated in column (2) against S.Nos. 1 & 2)}</p>
02	<p>Smt. Bertsie Sundaram, Deputy Commissioner of Central Excise,Central Excise Division-II, 1, Williams Road, Cantonment, Tiruchirapalli – PIN-620 001. Tamilnadu. Tele FAX: 0431 – 2410086 email:- cexd3006@excise.nic.in</p>	<p>For RTI matters pertaining to her charge.</p>	<p>-do-</p>
03	<p>Shri R. Swaminathan, Deputy Commissioner of Central Excise,Central Excise Division, Ponnagar, Medical College Road, Thanjavur. PIN 613 007. Tamilnadu. Tele FAX . 04362-230657 email:- cexd3004@excise.nic.in</p>	<p>For RTI matters pertaining to his charge.</p>	<p>Shri Vasa Seshagiri Rao, Additional Commissioner of Central Excise, 1, Williams Road, Cantonment, Tiruchirapalli – PIN - 620 001.Tamilnadu. Tel: 0431 – 2411738 FAX: 0431-2412226 email:- cextrich@excise.nic.in { Appeals arising out of non- receipt of decision from the CPIO (indicated in column (2) against S.Nos. 3 to 6) within the time specified in sub section (1) or clause (a) of sub-section (3) of Section 7 of the RTI Act or appeal arising if aggrieved by a decision of the CPIO indicated in column (2) against S.Nos. 3 to 6}</p>

04	Shri P.A. Vijay, Assistant Commissioner of Central Excise, Central Excise Division, 15, Gowripuram Extension, Anna Nagar Main Road, Karur. PIN 639 002. Tamilnadu. Tel . 04324 -240855 Fax-04324- 240859 email- cexd3007@excise.nic.in	For RTI matters pertaining to his charge.	-do-
05	Shri V. Prabhakaran, Assistant Commissioner of Central Excise, Central Excise Division, No.1, Nool Kadai Street, Karaikkal. PIN 609 602. Pondicherry Union Territory. Tele FAX 04368- 225450 email:- cexd3008@excise.nic.in	For RTI matters pertaining to his charge.	-do-
06	Shri A. Rajendran, Assistant Commissioner of Central Excise (Technical), No 1, Williams Road, Cantonment, Tiruchirappalli. PIN- 620 001. Tamilnadu. Tel: 0431-2414033 email:- cextrich@excise.nic.in	For RTI matters relating to the charge of Tiruchirappalli Central Excise Commissionerate and Tiruchirappalli Commissioner (Appeal)'s charge.	-do-

04. It is hereby made known to the Trade and Public that the revised structure as indicated in the Table above will become effective from 1st of December 2005. The newly designated CPIOs and Appellate Authorities mentioned above will deal with RTI applications received (and appeals relating thereto) on or after 1st December 2007. The earlier structure of CPIO / Appellate Authority relating to this Commissionerate will continue to function till 30th November 2007 i.e up to the time when the revised structure takes its effect from 1st December 2007.

05. The contents of this Trade Notice is also available in the website of this Commissionerate www.centralexcisetrichy.gov.in .

(BHIKHOO RAM)
COMMISSIONER

/Issued from file C.No.II/39/2015/2007-RTI/

To
As per Mailing List I, II and III.

Copy to: All Sections in Hqrs Office.

: All the Commissioners of Central Excise in Central Excise in Chennai / Coimbatore/Chennai
Customs (Preventive) Zone.

: The Public Relation Officer, Hqrs, Trichy (for displaying in the Notice board),

: The Superintendent (Computer Cell), Hqrs, Trichy (for uploading in the Commissionerate's Web
site.

: The Hindi Cell, Hqrs, Trichy.

: The Help Centre, Central Excise & Customs, Trichy.

: Information Facilitation Centre, Hqrs, Trichy.

Copy submitted to: The Chief Commissioner of Central Excise, Coimbatore,

: The Chief Commissioner of Central Excise, Chennai,

: The Chief Commissioner of Customs (Preventive), Chennai.